

Order Sheet [Contd]

Case No. 08/17- m5c marco Date of Order or Order or proceeding with Signature of Presiding Officer Proceeding Signature of Parties or Pleaders where necessary मूल अभिलेख के अवलोकन से दर्शित होता है कि उक्त प्रकरण अधि—निर्णय दिनांक 19—12—18 को निराकृत हुआ। अवार्ड पारित करते हुए आवेदक शेर सिंह को 5925/- (पांच हजार नौ सौ पच्चीस) रूपये एवं अनावेदिक सुनाती को 78,038/- (अठत्तर हजार अडतीस) रूपये क्षतिपूर्ति राशि के साथ आवेदन प्रस्तुति दिनांक 29-08-15 से पूर्व अदायगी तक 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित बीमा कम्पनी द्वारा जमा किये जाने का आदेश दिया गया है। जो राशि जमा होने पर आवेदकगण भुगतान की जावे। 6470 GD ONT

चूिक आवेदक शेर सिंह द्वारा अवार्ड राशि के मुगतान वावत् प्रथक से आवेदनपत्र प्रस्तुत किया। जो वाद विचार न्यायहित में स्वीकार कर आवेदक के हिस्से के क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज के 6470/- (छै हजार चार सौ सत्तर) रूपये का आदेशानुसार बाउचर तैयार कर राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत खाते के माध्यम से नगद मुगतान की जावे।

अतः आदेश के पालन में आवेदक शेर सिंह पुत्र राम खिलाडी निवासी वार्ड नं.— 16 गांधी नगर गोहद जिला भिण्ड म.प्र. को उसके हिस्से के अवार्ड राशि 6470/- (छै हजार चार सौ सत्तर) रूपये राष्ट्रीयकृत बैंक बचत खाते के माध्यम से नगद भुगतान की जावे। आदेशानुसार आवेदक के उपस्थित होने पर का रिफण्ड बाउचर तैयार कर नायव नाजिर गोहद की ओर कार्यवाही हेतू भेजा जावे।

मूल अभिलेख में आर्देश की प्रमाणित प्रति संलग्न

अमिलेखागार भिण्ड भेजा जावे।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर अभिलेखागार भिण्ड

मेजा जावे।

द्वि• मोटर दुघंटना दावा प्राधिकरण गोहद, जिला-भिण्ड (म॰प्र•)